संख्या–1332/चौवालिस-1/91-73/77

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोएडा/बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

(2) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 13 सितम्बर, 1991

विषयः– राज्य के सार्वजनिक उद्यमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण सेमिनार, विचार गोष्टियां, सम्मेलनों, सिंपोजियम, स्कालर शिप, फलोनियर्स विदेशी, कम्पनियों से तकनीक अथवा संयत्र आयात किये जाने की प्रकृति के वर्गीकरण के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–618/चौवालिस–1-73/77-91, दिनांक 24 अप्रैल, 1991 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(1) में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को उनके अनुमोदनार्थ तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु जो व्यवस्था की गयी थी उसके स्थान पर अब सार्वजनिक उपक्रमों, उद्यमों तथा निगमों में कार्यरत ऐसे अधिकारी जो उक्त सार्वजनिक उपक्रमों/उद्यमों/निगमों के पूर्णकालिक अधिकारी हैं, के सम्बन्ध में विदेश यात्राओं के प्रस्तावों पर आर्थिक कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पूर्णकालिक अधिकारी को निजी संस्थाओं के अधिकारियों के समकक्ष मानते हुए उनकी विदेश यात्राओं के प्रकरणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

2- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/परिषदों के पूर्णकालिक अधिकारियों की परिभाषा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे समस्त अधिकारी आयेंगे जो अपना वेतन आदि सम्बन्धित उपक्रमों/निगमों/परिषदों से आहरित करते हैं। आई०ए०एस० तथा पी०सी०एस० अधिकारियों की समस्त प्रकार की विदेश यात्राओं के लिए कांडर कन्ट्रोलिंग अथारिटी का अनुमोदन आवश्यक होगा। अतः इन अधिकारियों की सभी प्रकार की विदेश यात्राओं के मामलों में प्रशिक्षण सेल नियुक्ति विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3- मा० मंत्रीगणों तथा शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार के आर्थिक कार्य तथा अन्य विभागों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि ऐसी यात्राओं पर होने वाला व्यय किसी सार्वजनिक उपक्रम/निगम/परिषद् के कोष से वहन किया जाता है।

4- अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं उक्त शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 1991 के प्रस्तर–2(1) इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
(रमेश चन्द्र त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1332 (1)/चौवालिस–1/1991, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित सचिवालय के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।

(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
(मन्द्रालय जोशी)
अनु सचिव।